लोक स्वातन्त्र्य संगठन

लोक स्वातंत्र्य संगठन की स्थापना स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण ने आपात्काल में अक्तूबर, 1976 में की थी। आचार्य जे० बी० कृपलानी ने दिल्ली में इसका उद्घाटन किया।

शुरू में यह संस्था सदस्यता पर आधारित नहीं थी। 22-23 नवम्बर 1980 को दिल्ली में एक अखिल भारतीय सम्मेलन में इसे सदस्यता आधारित संस्था का रूप दिया गया।

सम्मेलन ने लोस्वासं का संविधान अपनाया, जो निम्नलिरिवत है।

जो व्यक्ति लोस्वासं के उद्देश्यों और लक्ष्यों का अनुमोदन करते हों और उसके विनियमों और अधिनियमों से सहमत हों उनको इस संस्था में सम्मिलित होने का आमन्त्रण है।

संविधान

1. **नाम**

इस संस्था का नाम लोक स्वातंत्र्य संगठन (लोस्वासं) होगा।

2. **उद्देश्य और लक्ष्य**

लोक स्वातंत्र्य संगठन उन सब व्यक्तियों को जो भारत में लोक स्वतन्त्रताओं की रक्षा और उनके प्रोत्साहन के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, भले ही देश के लिए राजनैतिक और आर्थिक ढांचे की उपयुक्तता के सम्बन्ध में उनमें मत–भिन्न हो, एकजुट करने का प्रयत्न करेगा।

इस संस्था के उद्देश्य और लक्ष्य इस प्रकार होंगे :

(क) देश भर में शान्तिपूर्ण तरीकों से लोक स्वतन्त्रताओं और लोकतन्त्रात्मक जीवन बनाये ररवना और उसे प्रोत्साहित करना;

(रव) व्यक्तिक गौरव के सिद्धान्त के स्वीकरण की चेष्टा करना;

(ग) दण्डविधि और फौजदारी कानून को मानवोचित और उदारचित सिद्धान्तों से समन्वित करने के लिए लगातार उनका पुनरावलोकन करते रहना,

(घ) निवारक नज़र–बन्दी सहित सभी दमनकारी कानूनों के रद्द करने और वापसी के लिए प्रयत्न करना;

(ड.) विचार की स्वतन्त्रता को बढ़ावा देना और सार्वजनिक विसम्मति के आधार की रक्षा करना;

(च) समाचार पत्रों की स्वाधीनता और रेडियो तथा टेलीविज़न जैसे जन–माध्यमों की स्वतन्त्रता सुरक्षित करने के लिए प्रयत्नशील रहना;

(छ) कानून की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वाधीनता के लिए प्रयत्नशील रहना;

(ज) निर्धनों को कानूनी सहायता प्रदान करना;

(झ) लोक स्वतन्त्रताओं की सुरक्षा के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध करना;

(ञ) न्याय प्रणाली में इस प्रकार के सुधारों के लिए प्रयत्नशील होना जिनसे अत्याधिक विलम्ब समाप्त हो सके, खर्चीलापन घटे तथा असमानता न रहे;

(ट) जेल सुधार की चेष्टा करना ;

(ठ) पुलिस की ज़्यादतियों और यन्त्रणा के तरीकों के इस्तेमाल का विरोध करना;

(ड) धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, और जन्म–स्थान पर आधारित भेदभाव का विरोध करना;

(ढ) छुआछूत, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, आदि, ऐसी सभी सामाजिक कुरीतियों से संघर्ष करना जो लोक स्वतन्त्रताओं का अतिक्रमण करती हैं;

(ढ़) समाज के कमज़ोर अंगों, स्त्रियों, और बच्चों की लोक स्वतन्त्रताओं की रक्षा के लिये विशेषतः प्रयत्नशील होना;

(ण) उपरोक्त उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक पूरक और प्रासंगिक कदम उठाना।

3. **सदस्यता के मानक**

(क) प्रत्येक वह व्यस्क व्यक्ति जो यह विश्वास ररवता हो कि भारत में वर्तमान और भविष्य में नागरिक स्वतन्त्रतायें किसी भी कीमत पर बनी रहनी चाहिए, भले ही देश में किसी भी प्रकार के आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तन आयें, इस संस्था की सदस्यता प्राप्त कर सकता है।

(रव) राजनैतिक दलों के सदस्य, यदि वह इस संस्था के उद्देश्यों और लक्ष्यों में विश्वास ररवते हों, व्यक्तिगत रूप से इसके सदस्य बन सकेगे । निम्नलिरिवत के अलावा उन्हें सदस्यता के सभी अधिकार होंगे।

1. संस्था या इसकी शाखाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, अन्य सचिव, और कोषाध्यक्ष किसी राजनैतिक दल के सदस्य नही होंगे।

2. राष्ट्रीय परिषद् और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति तथा राज्य और स्थानीय स्तर पर इनकी संगत समितियों के कम से कम आधे सदस्य ऐसे होंगे जो किसी राजनैतिक दल के सदस्य न हों।

3. किसी एक राजनैतिक दल के सदस्य, राष्ट्रीय परिषद्, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, तथ राज्य और स्थानीय स्तर पर इनकी संगत समितियों में, अधिक से अधिक दस प्रतिशत हो सकते हैं।

(ग) सदस्यता शुल्क 50 रूपये प्रति वर्ष होगा और वर्ष में एक बार लिया जायेगा। छात्र सदस्य और पच्चीस वर्ष से कम आयु वाले, न कमाने वाले सदस्य, 10 रूपये प्रति वर्ष शुल्क दे सकते हैं। प्रत्येक स्तर की कार्यकारिणी समिति समाज के आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को जैसे कामगर और किसान, 10 रूपये प्रति वर्ष के शुल्क पर सदस्य बना सकती हैं।

(ध) जो व्यक्ति एक मुश्त 1000 रूपये दे वे आजीवन सदस्य होंगे। जो व्यक्ति 2 हजार रूपये दें वे संस्था के संरक्षक सदस्य होंगे।

(ड.) राष्ट्रीय परिषद् को, दो तिहाई के बहुमत से, किसी व्यक्ति को सदस्यता से इन्कार करने का या सदस्यता से निष्कासन का

अधिकार होगा। प्रत्येक राज्यशारवा की परिषद् को भी अपने राज्य के सम्बन्ध में यह अधिकार होगा।

3. क **संस्थागत सदस्यता**

व्यक्तिगत सदस्यों के अलावा संस्थागत सदस्य भी हो सकते हैं। राजनैतिक दलों और उनसे सम्बद्ध समूहों को छोड़कर सभी स्वैच्छिक समूह और संस्थाएँ जिनका लोस्वासं के उद्देश्यों और लक्ष्यों में विश्वास है और जो इसमें सम्मिलित होना चाहती है वे राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित सम्पूरक नियमों के अनुसार इसके सदस्य होने की अधिकारी होंगी।

4. **राष्ट्रीय सभा**

(क) दो वर्ष में एक बार संस्था की राष्ट्रीय सभा होगी।

(रव) राष्ट्रीय सभा संस्था के काम की समीक्षा करेगी और भविष्य के लिए नीतियां और कार्यक्रम निर्धारित करेगी।

(ग) राष्टीय सभा, आगामी सत्र के लिए अध्यक्ष, एक या एक से अधिक उपाध्यक्ष, एक या एक से अधिक महासचिव, एक या एक से अधिक सहायक सचिव, तथा कोषाध्यक्ष चुनेगी।

(घ) राष्ट्रीय सभा राष्ट्रीय परिषद् और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के गठन के लिए सदस्य चुनेगी। राष्ट्रीय परिषद् और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या राष्ट्रीय सभा प्रत्येक वर्ष नियत करेगी।

5. **राष्ट्रीय परिषद्**

(क) राष्ट्रीय परिषद् की बैठक वर्ष में एक बार होगी।

(रव) दो राष्ट्रीय सभाओं के बीच के काल में राष्ट्रीय परिषद् संगठन की नीतियां और कार्यक्रम निर्धारित करेगी।

6. **राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति**

(क) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति राष्ट्रीय सभा और राष्ट्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित नीतियों और कार्यक्रमों के अनुरूप संगठन के विकास और कार्य की देखभाल करेगी।

(रव) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति भारत के प्रत्येक राज्य में संस्था की शारवाएं संगठित करने के प्रयत्न करेगी।

(ग) दो राष्ट्रीय सभाओं और राष्ट्रीय परिषद् बैठकों के बीच के काल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण करेगी।

7. **राज्य और स्थानीय शाखाएं**

(क) महासचिव के अनुमोदन से किसी भी राज्य में संस्था के सदस्य एक राज्य शाखा का गठन कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में महासचिव अध्यक्ष से परामर्श करता रहेगा।

(रव) राज्य के सदस्यों के एक सम्मेलन में राज्य शारवा की परिषद् और कार्यकारिणी समिति का चुनाव होगा। सम्मेलन में राज्य शाखा के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का चुनाव भी होगा।

(ग) राज्य सम्मेलन, राज्य परिषद्, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, और राज्य शाखा के पदाधिकारियों पर ऊपर लिखित धाराओं 4, 5, और 6 के अनुरूप व्यवस्थायें लागू होगी।

(घ) प्रत्येक राज्य शाखा कुल प्राप्त सदस्यता–शुल्क का एक तिहाई केन्द्रीय संगठन को भेजेगी, दो तिहाई राज्य शाखा के पास रहेगा।

(ड.) आजीवन सदस्यता–शुल्क और संरक्षक सदस्यता–शुल्क का 40% राष्ट्रीय कार्यालय को भेजा जाएगा। जो आजीवन व संरक्षक शुल्क सीधे राष्ट्रीय कार्यालय में आएगा उसकी पूर्ण राशि वहीं रखी जाएगी।

8. **सम्पूरक नियम**

आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को संस्था के लिए सम्पूरक नियम बनाने का अधिकार होगा।

9. **संशोधन**

राष्ट्रीय परिषद को अपनी कुल सदस्यता के बहुमत से, संस्था के उद्देश्यों और लक्ष्यों और धारा 3 (क) में निर्धारित सदस्यता के मानकों को छोड़कर, संविधान के किसी भाग का संशोधन करने का अधिकार होगा।

(संविधान का मूल रूप अंग्रेजी में हैं)

संविधान की धारा 3 क के सन्दर्भ में संस्थागत सदस्यता के लिए सम्पूरक नियमः

1. वे समूह व संस्थाएं जो लोस्वासं के संस्थागत सदस्य बनना चाहती हैं
   (क) लोस्वासं के उद्देश्यों और लक्ष्यों में अपना विश्वास व्यक्त करेंगी और
   (ख) अपने उपनियमों के अनुसार निर्णय लेकर सदस्यता के लिए आवेदन करेंगी।
2. लोस्वासं की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को आवेदन पर भलीभांति विचार करके आवेदन स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
3. संस्था या समूह के अधिकार या प्रकति पर ध्यान दिए बिना प्रत्येक समूह या संस्था को पचास रूपये वार्षिक शुल्क देना होगा। विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को शुल्क धटाने का अधिकार होगा।
4. किसी राज्य में कार्यरत समूह या संस्था को राज्य परिषद् के लिए एक प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार होगा।
5. दो से अधिक राज्यों में कार्यरत प्रत्येक समूह या संस्था को राष्ट्रीय परिषद् के एक प्रतिनिधि को मनोनीत करने का अधिकार होगा।
6. किसी एक राज्य के सभी संस्थागत सदस्य यदि उनकी संख्या पांच से कम हो तो एक, और पांच या अधिक हो तो दो प्रतिनिधि राज्य कार्यकारिणी समिति में भेजने के अधिकारी होगें।
7. राष्ट्रीय परिषद् के सभी संस्थागत सदस्य मिलकर, यदि उनकी संख्या दस से कम है तो एक और दस या अधिक है तो दो सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में भेजने के अधिकारी होंगे।
8. ऊपर धारा 6 व 7 में वर्णित प्रतिनिधित्व बारी के आधार पर या संस्थागत सदस्यों के परस्पर समझौते के आधार पर हो सकता हैं। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष की मंत्रणा से निर्णय करने का अधिकार उन्हीं को होगा।

महासचिव

लोक स्वातन्त्र्य संगठन

सदस्यता फ़ार्म

महा सचिव
लोक स्वातन्त्र्य संगठन

प्रिय साथी,

मैं लोक स्वातन्त्र्य संगठन का सदस्य बनना चाहती/चाहता हूं । इस संस्था के उद्देश्यों व लक्ष्यों में मेरा पूर्ण विश्वास है और आश्वासन देती/देता हूं कि इसके नियमों का पालन करूंगी/करूंगा।

{देखिए धारा 3 (ग) और (घ)}

साधारण/आजीवन/संरक्षक सदस्य के शुल्क के रूप में 50/ रू. 1000 रू./2000 रू. नकद/ड्राफ़्ट/मनीआर्डर से भेज रही/रहा हूं। मैं किसी राजनैतिक दल की/का सदस्य नहीं हूं/मैं ..... की/का सदस्य हूं।

मुझे पत्रिका भेजें। उसके निमित भी 100/ रू. संलग्न हैं।

कृपया मेरा आवेदन स्वीकार करें।

नाम .....
डाक का पता .....
.....
..... पिन .....
फोन .....
कार्य या व्यवसाय .....
विशेष रूचि .....

.....

दिनांक

हस्ताक्षर

धनराशि ड्राफ़्ट द्वारा **'पीपुल्स यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज'** के नाम निम्न पते पर भेजें:

National Office:- 270-A, Ground floor, Patpar Ganj, Opp. Anand Lok Apartments (Gate No. 2), Mayur Vihar-I, Delhi 110 091. ☎ 011-22750014.